अंगों के व्यापार पर अंकुश का कानून

प्रमोद भार्गव

मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) विधेयक 2009 लोकसभा में पारित हो गया है। इसमें मानव अंगों की अवैध खरीद-फरोख्त और गरीबों के अमानवीय दोहन के मामलों में 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने तथा 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इस विधेयक का मूल उद्देश्य मानव अंगों के प्रत्यारोपण को नियमित एवं सुगम बनाने के साथ-साथ अंगों के नाजायज़ कारोबार पर रोक लगाना है। इस कानून के दायरे में स्टेम कोशिकाओं के साथ-साथ ऊतकों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लीवर और गुर्दे का गैर कानूनी प्रत्यारोपण करने वाले चिकित्सा कारोबारी भयभीत होंगे। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके निकटतम परिजनों की सहमति से मृत व्यक्ति के महत्त्वपूर्ण अंग दान करने की भी व्यवस्था इस कानून में है। देश में फिलहाल 17 केंद्र इस काम में लगे भी हैं।

मानव त्वचा से महज़ एक स्टेम कोशिका को विकसित कर कई तरह के रोगों के उपचार की संभावनाएं उजागर हो रही हैं। माना जा रहा है कि यदि स्टेम कोशिका मानव शरीर के क्षय हो चुके अंग पर प्रत्यारोपित करने के बाद विकसित होने का क्रम शुरू कर दे तो ऊतकों की मरम्मत संभव होगी। करीब दस लाख स्टेम कोशिकाओं का एक समूह सुई की एक नोक के बराबर होता है। ऐसी चमत्कारी उपलब्धियों के बावजूद समूचा चिकित्सा समुदाय इस प्रणाली को रामबाण नहीं मानता। शारीरिक अंगों के प्राकृतिक रूप से क्षरण अथवा दुर्घटना में नष्ट होने के बाद जैविक प्रक्रिया से सुधार लाने की प्रणाली में अभी और बुनियादी सुधार लाने की ज़रूरत है। अलबत्ता इसे नज़रअंदाज़ भी नहीं किया जा सकता।

मानव अंगों की खरीद-फरोख्त और उनके नाजायज़ कारोबार पर अंकुश के लिए एक कानून की ज़रूरत थी, जिसकी इस संशोधित विधेयक से कमोबेश पूर्ति होती है। दरअसल लीवर और गुर्दा जैसे अंग यदि पूरी तरह से खराब हो जाते हैं तो इनका सफल उपचार किसी अन्य व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपित करके ही संभव है। इसके लिए अंगों की उपलब्धता दो ही तरह से मुमकिन होती है। एक तो अंगदान के ज़रिए, और दूसरा अंग क्रय करके। लेकिन अब जिगर का इलाज रोगी की ही अस्थि मज्जा से स्टेम कोशिका लेकर उसे क्षय हो चुके जिगर के हिस्से में प्रत्यारोपित करके किया जा सकता है। इस प्रणाली के अमल में आने पर एक-डेढ़ माह में ही बिना किसी गंभीर शल्य क्रिया का कष्ट झेले रोग का इलाज हो पाएगा।

इधर वंशानुगत रोगों को दूर करने के लिए स्त्री की गर्भनाल से प्राप्त स्टेम कोशिकाओं का भी दवा के रूप में इस्तेमाल शुरू हुआ है। इस हेतु गर्भनाल रक्त बैंक भी भारत समेत दुनिया में वजूद में आते जा रहे हैं। इस चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत प्रसव के तत्काल बाद गर्भनाल काटने के बाद यदि इससे प्राप्त स्टेम कोशिकाओं का संरक्षण कर लिया जाए तो इनसे परिवार के सदस्यों का दो दशक बाद भी उपचार संभव है। इन कोशिकाओं का उपयोग दंपत्ति की संतान के अलावा उनके भाई-बहन तथा माता-पिता के लिए भी किया जा सकता है। गर्भनाल से निकाले रक्त को शीत अवस्था में 21 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन इस

बैंक में रखने का शुल्क कम से कम एक-डेढ़ लाख रुपए है। ऐसे में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि गरीब लोग इन बैंकों का इस्तेमाल कर पाएंगे। सरकारी स्तर पर अभी इन बैंकों को खोले जाने का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ है। निजी अस्पताल में इन बैंकों की शुरुआत हो गई है और 75 से ज़्यादा बैंक अस्तित्व में आकर कोशिकाओं के संरक्षण में लगे हैं। इस पद्धति से जिगर, गुर्दा, हृदय रोग, मधुमेह और स्नायु जैसे वंशानुगत रोगों का इलाज संभव है। नया कानून इन बैंकों की मनमानियों को नियंत्रित करने का काम भी करेगा।

महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान निकलने वाले जिस रक्त को रिवाज़ों के मुताबिक अशुद्ध माना जाता है, उसमें दरअसल जीवन को निरोगी और दीर्घायु बनाने की क्षमता पाई गई है। नए शोधों से पता चला है कि इस रक्त में स्टेम कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं। जिनका उपयोग अनेक बीमारियों में किया जा सकता है। मुंबई में तो इन कोशिकाओं के संरक्षण की दृष्टि से 'मेन्स्ट्रुअल स्टेम सेल बैंक' भी शुरू हो चुका है। शोधों से पता चला है कि रजस्वला स्त्री के रक्त से मिलने वाली स्टेम कोशिकाओं में सफलता की संभावना अस्थि मज्जा से निकाली गई कोशिकाओं की बनिस्बत सौ गुना अधिक होती है। ये कोशिकाएं आसानी से उपलब्ध हैं और इन्हें आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। इनके संग्रह के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ की भी ज़रूरत नहीं होती। इच्छुक महिलाओं को माहवारी के रक्त को एकत्रित करने के लिए एक विशेष किट बैंक से दिया जाता है।

लेकिन स्टेम कोशिकाओं से उपचार की ये प्रणालियां अभी शैशव अवस्था में हैं और सीमित हैं। उपचार भी महंगा है। इस कारण जिगर और गुर्दे की बीमारियों को प्रत्यारोपण के जरिए ही दूर करने की सबसे ज़्यादा मांग है। इसकी आपूर्ति के लिए सरकार की कोशिश है कि शवों (दिमागी तौर पर मृत लोगों के शव) से अंग प्राप्त किए जाएं। यह प्रत्यारोपण के लिए अंगों की आपूर्ति का सबसे अच्छा और सरल माध्यम है, जिसे लोगों में जागरूकता पैदा करके पूरा किया जा सकता है।

भारत में हर साल एक लाख 50 हज़ार लोगों को गुर्दा प्रत्यारोपण की ज़रूरत होती है। लेकिन बमुश्किल 5000 लोगों में गुर्दा प्रत्यारोपण मुमकिन हो पाता है। हृदय प्रत्यारोपण के हालात तो बेहद चिंताजनक है। देश में हर साल 50 हज़ार लोग हृदय प्रत्यारोपण के इंतज़ार में रहते हैं। इनमें से महज 10-15 लोगों का ही हृदय प्रत्यारोपण हो पाता है। देश में अंग प्रत्यारोपण के ज़रूरतमंद लोगों की संख्या में भारी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। दूसरी ओर, अंगदान करने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही है। अंग प्रत्यारोपण कराने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी भी भारत आने लगे हैं, क्योंकि यहां खर्च कम होने के साथ अंगों की खरीद-फरोख्त के चलते अंगों की उपलब्धता आसान बनी रहती है। तीन साल पहले गुड़गांव के एक निजी चिकित्सालय में 600 मज़दूरों के गुर्दे धोखाधड़ी से निकाल लिए जाने का मामला सामने आया था। हालांकि अब कृत्रिम गुर्दे का भी निर्माण करने में चिकित्सा विज्ञानियों ने सफलता हासिल कर ली है किंतु अभी यह प्रणाली चलन में नहीं आई है। इसके चलन में आने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि मानव गुर्दे की ज़रूरत में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाएगी।

अंग प्रत्यारोपण में सबसे कारगर पद्धति अंगदान ही है। इसकी आपूर्ति तीन प्रकार से अंगदान करके की जा सकती है। पहला कोई भी इंसान जीवित रहते हुए अपना गुर्दा अथवा जिगर दान करके ज़रूरतमंद को नया जीवन दे दे। दूसरे किसी व्यक्ति के ब्रेन डेड होने पर, उसके परिजनों की अनुमति से अंगदान किया जा सकता है। इस पद्धति को भी इस संशोधित विधेयक में मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन इसमें अंगदान करने की समय सीमा होती है। समय रहते मृत व्यक्ति के अंग निकाल लिए जाएं तभी प्रत्यारोपण संभव हो पाता है। इसमें परिवार की इजाज़त कानूनन ज़रूरी है। अंगदान को व्यावसायिक दायरे में भी लाया गया है। इस संशोधित कानून के अस्तित्व में आने से जहां उपचार में आसानी होगी, वहीं इलाज को ठेठ कारोबारी निगाह से देखने की मानसिकता पर भी अंकुश लगेगा। ***(स्रोत फीचर्स)***